**संख्याः 3806/77-6-2002-41टैक्स/01**

प्रेषक,

अनूप मिश्र,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**आयुक्त एवं निदेशक,**

उद्योग, उ0प्र0

उद्योग निदेशालय,

कानपुर।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊः दिनांक 11 मार्च, 2003**

**विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मंत्रिमण्डल की आर्थिक विकास समिति ने प्रस्तावित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

2- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रू0 10.00 करोड़ या उससे अधिक लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं तथा प्रदेश के अन्य भागों में रू0 25.00 करोड़ या उससे अधिक लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को पॉच वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण दिए जाने की योजना है। उक्त मेगा परियोजनाओं के उत्पादन में आने के पश्चात् पॉच वार्षिक किश्तों में पॉच वर्ष के लिए ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध होगी एवं उसके अन्तर्गत पॉच वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष इकाई द्वारा किए गए उत्पादन (टर्न ओवर) के अनुपात में, प्रायः 5 प्रतिशत-10 प्रतिशत की सीमा तक ऋण सम्बन्धित इकाई को अगले वित्तीय वर्ष में यू.पी.एफ.सी. तथा पिकप के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। ऋण हेतु अनुमन्य प्रतिशत का निर्धारिण यू.पी.एफ.सी. अथवा पिकप द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में स्वीकृत ऋण पॉच वर्ष के बाद लौटा दिया जाय। अतः इस योजना के अनुसार प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा इकाइयों को पॉच वार्षिक किश्तों में पॉच वर्ष के लिए ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कि उनकी वित्तीय कार्यशैली - पूॅजी तथा कैश फ्लो को उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में सहायता एवं समर्थन मिलेगा।

3- यह अनुभव रहा है कि उत्पादन प्रारम्भ होते समय अथवा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में ईकाइयों को प्रायः कैश फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ता है एवं कार्यशील वित्तीय संसाधनों की कमी से ईकाइयों की उत्पादकता तथा उत्पादन प्रभावित होता है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना लागू किए जाने से प्रदेश में स्थापित होने वाली नई ईकाइयों को उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

4- प्रश्नगत सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात् सम्बंधित ईकाई भविष्य में बंद न कर दी जाय इस हेतु भी समुचित व्यवस्था एम.ओ.यू. के माध्यम से की जाएगी।

5- कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-6-1149/दस-2002 दिनांक-28.02.03 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

**(अनूप मिश्र)**

सचिव

**संख्या (1)/77-6-2002 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, व्यापार कर विभाग।
2. प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग।
3. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा प्रबंध निदेशक, पिकप को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4
6. कर एवं निबंधन अनुभाग-2
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**(काजी एम.ए. मुजतबा)**

अनुसचिव।